SNO/3CR) APCR

कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोरिया - बैकुन्ठपुर

क्रमांक/पु0अ0कोरिया/स्टेनो/शिका0/ 5 /2005 दिनांक 4 .10.2005

प्रति

सहायक संचालक
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
6 फ्लोर , लोकनायक भवन ,खान मार्केट
नई दिल्ली -110003

विषयः- शिकायत आवेदक डा0एल0एस0उदय निवासी तामडांड , खडगवाँ के शिकायत वावत ।

संदर्भः- आपके पत्र कं0/छत्तीसगढ /एसटी0-8/2005 एपीसीआर0 दिनांक 22.7.2005

--00--

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शिकायत आवेदक डा0 एल0एस0उदय द्वारा शिकायत किया गया है कि नि-संतान आदिवासी महिला नागपुर निवासी मानकुवंर गोंड की फर्जी पति बनने वाला शिवभजन कलार द्वारा आर्थिक एवं पैतृक संपत्ति की लालच में गला दबाकर हत्या कर देने की आशंका पर प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल गिरफतारी वावत आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है।

शिकायत की जाँच अनुवि0अधिकारी मनेन्द्रगढ़ से कराये जाने पर पाया गया कि मृतिका मानकुवंर पति कवलसाय गोड़ को कलव साय की मृत्यु होने पर एसईसीएल0 चिरमिरी में नौकरी प्राप्त हुई । उसी स्थान पर अनावेदक शिवभजन कलार भी सेवारत था । मृतिका मानकुवंर बाई से शिवभवन का आपसी सबंध होने से बतौर पति - पत्नी साथ रहने लगे यह कि मृतिका मानकुंवर के कोई संतान नही है। इसी कारण मानकुवंर अपने बहन की लड़की चंदाबाई को गोद लेकर बचपन से रखी थी । जिसकी शादी ग्राम तामडांड में हुई है। मृतिका को 16-17 वर्षो से शुगर, ब्लड प्रेसर, जैसे बीमारी थी । जिसका ईलाज चिरिमरी ,पोड़ी एवं मनेन्द्रगढ़ से होता था । दिनांक 23.5.2005 को चंदाबाई शादी में तामडांड गई थी । उस दिन मानकुंवर व शिवभजन घर पर थे कि रात्रि में मानकुंवर को उल्टी हुआ व मानकुंवर की मौत हो गई। जिसकी सूचना पाकर चंदाबाई उसके पति रामसिंह व अन्य लोग आकर बीमारी से मौत होने से दाह संस्कार दूसरे दिन कर दिए । इस वावत थाने में कोई रिर्पोट नही दी गई ।

13/1/06

74/Ch/31
13-X-05

D:\mgh.doc

मृतिका के मौत के बाद उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति व रकम पाने हेतु चंदाबाई व उसके पति को भड़का कर इस प्रकार की शिकायत की गई है। ग्राम चिताझोर पोड़ी में मृतिका द्वारा जो जमीन खरीदी गई है। वह मृतिका मानकुवर के नाम पर है। अनावेदक शिवभजन का नाम नही है तथा ग्राम लाई में खरीदी जमीन चंदाबाई के नाम है , उसी के नाम से रजिस्ट्री हुआ है तथा उस पर चंदाबाई ही काबिज है। तथा सेंट्रल बैंक चिरमिरी मे जमा रकम मृतिका मानकुंवर के नाम है। उसे आहरित नही किया गया है , बीमा पालिसी भी अनावेदक शिवभजन के नाम नही है। यह कि मानकुंवर के मौत की रिपोर्ट तत्काल थाने में नही दी गई है तथा दाह संस्कार बाद आपसी विवाद होने से बढ़ा-चढ़ा कर शिकायत पेश किया गया है।

ग्राम लोहारी से लापता आदिवासी युवक शिवलाल को उसके माँ-बाप के द्वारा भगाकर अपने रिस्तेदार के यहाँ उत्तर प्रदेश भेज दिया गया था । तथा डाक्टर एल0एस0उदय के कहने पर शिकायत किया गया था कि शिवलाल की हत्या की गई है , पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है । जबकि लापता युवक शिवलाल अपने रिस्तेदार उत्तर प्रदेश से पुलिस द्वारा बरामद कर लाया गया है, तथा अब घर पर है । शिकायत बढ़ा-चढ़ा कर दिया जाना पाया गया है।

अस्तु प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः- मूल शिकायत पत्र ,

पुलिस अधीक्षक
कोरिया-बैकुन्ठपुर

D:\mgh.doc